प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टिंकू पुत्र श्री सुरेशचन्द्र, निवासी जनपद-मैनपुरी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-19707/प्रो0अनु(7)/07/2025(बैठक दिनांक 20.03.2025) दिनांक-08.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टिंकू पुत्र श्री सुरेशचन्द्र, मौहल्ला-किन्हावर, थाना-विछवॉ, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। दिनांक 22.09.2013 को वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष गांव के संतोष कुमार के यहां, उनके पिता के शुद्धि में खाना खाने गयी थी। वापस आते समय अभियुक्त ने वादी की पुत्री को बठिया की आड़ में खींच लिया व जबरन बलात्कार किया एवं घर व पुलिस थाना में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-151/14, धारा-376, 511, 506 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव पॉक्सो एक्ट, मैनपुरी के आदेश दिनांक 25.11.2020 द्वारा 5 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक-22.06.2023 तक अपरिहार 03 वर्ष, 01 माह, 23 दिन तथा 03 वर्ष, 09 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी को समयपूर्व रिहा करने पर पुनः अपराध करने की संभावना होने, बन्दी अपराध करने में सशक्त होने, बन्दी को जेल से रिहा होने पर शान्ति व्यवस्था भंग होने से जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी समयपूर्व रिहाई की रिहाई की संस्तुति नहीं गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 08.01.2025 में समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 22.09.2013 को वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष गांव के संतोष कुमार के यहां, उनके पिता के शुद्धि में खाना खाने गयी थी। वापस आते समय अभियुक्त ने वादी की पुत्री को बठिया की आड में खींच लिया व जबरन बलात्कार किया एवं घर व पुलिस थाना में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी टिंकू पुत्र श्री सुरेश चन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टिंकू (बन्दी संख्या-114/20) पुत्र श्री सुरेशचन्द्र, निवासी जनपद-मैनपुरी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-775/2026/1054(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, मैनपुरी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-775/2026/1054/22-2-2025-17(956)/2025

दिनांक 18 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टिंकू पुत्र श्री सुरेशचन्द्र, मौहल्ला-किन्हावर, थाना-विछवॉ, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। दिनांक 22.09.2013 को वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष गांव के संतोष कुमार के यहां, उनके पिता के शुद्धि में खाना खाने गयी थी। वापस आते समय अभियुक्त ने वादी की पुत्री को बठिया की आड़ में खींच लिया व जबरन बलात्कार किया एवं घर व पुलिस थाना में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-151/14, धारा-376, 511, 506 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव पॉक्सो एक्ट, मैनपुरी के आदेश दिनांक 25.11.2020 द्वारा 5 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक-22.06.2023 तक अपरिहार 03 वर्ष, 01 माह, 23 दिन तथा 03 वर्ष, 09 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी को समयपूर्व रिहा करने पर पुनः अपराध करने की संभावना होने, बन्दी अपराध करने में सशक्त होने, बन्दी को जेल से रिहा होने पर शान्ति व्यवस्था भंग होने से जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी समयपूर्व रिहाई की रिहाई की संस्तुति नहीं गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 08.01.2025 में समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 22.09.2013 को वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष गांव के संतोष कुमार के यहां, उनके पिता के शुद्धि में खाना खाने गयी थी। वापस आते समय अभियुक्त ने वादी की पुत्री को बठिया की आड में खींच लिया व जबरन बलात्कार किया एवं घर व पुलिस थाना में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी टिंकू पुत्र श्री सुरेश चन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।